



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1937 (श10)
(सं0 पटना 68) पटना, बुधवार, 20 जनवरी 2016

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचनाएं

20 जनवरी 2016

एस०ओ० 20, दिनांक 20 जनवरी 2016—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 में संशोधन-(1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 के उप-नियम (3) में प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" को विलोपित किया जायेगा।
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०सं० विक्री-कर/संशोधन- 09/2015-282)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

20 जनवरी 2016

एस०ओ० 21, एस०ओ० 20 दिनांक 20 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० विक्री-कर/संशोधन- 09/2015-283)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 20th January 2016

S.O.20 dated 20th January 2016— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993:-

Amendments

1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.- (1) The word “ordinarily” used in sub-Rule (1) of Rule 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be deleted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance..

[(File No. Bikri kar/Sansodhan- 09/2015-282)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum- Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 68-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>